## कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्या– 1012 /खनन सहा0–2021 दिनांक 23मार्च, 2021

**सार्वजनिक नीलाम सूचना**

शासनादेश संख्या–137/VII-A-1/2020/90ख/16 दिनांक 31.01.2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के क्रम में जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नहीं है तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में बालू मलबा/उपखनिज रेत जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से बालू मलबा/उपखनिज रेत को हटाये जाने हेतु निम्नलिखित स्थलों की सार्वजनिक नीलामी की खुली बोली में प्रतिभाग करने हेतु जनपद के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन पत्र विज्ञप्ति की दिनांक से दिनांक 31.03.2021 तक आंमत्रित किये जाते है। तदोपरान्त सफल आवेदक के चयन हेतु दिनांक 01.04.2021 को पूर्वाह्न 11.00बजे से निम्न लॉटों की सार्वजनिक नीलामी सभागार, कलेक्ट्रेट, हरिद्वार स्थित रोशनाबाद में होगी।

**तालिका**

गंगा नदी

| क्र0 सं0 | रिवर ट्रेनिंग हेतु चिन्हीकृत स्थल व नदी का नाम | भौगोलिक स्थिति | भूमि का प्रकार | लम्बाई (मीटर) | नदी के दोनों तटों के एक चौथाई भाग को छोडते हुए चौडाई (मीटर) | मानक अनुसार निर्धारित गहराई (मीटर में) | रेत/मलवा मात्रा (घन मीटर में) | रायल्टी धनराशि (आधार मूल्य 154 रू/घनमीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 595 (लॉट सं0 01) | **N-N 29° 38' 25.98", E 78° 5' 6.67" M-N 29° 38' 20.01" E 78° 5' 9.58" L- N 29° 38' 23.88" E 78° 5' 3.91" O- N 29° 38' 18.08" E 78° 5' 6.99"** | राज्य सरकार | 200 | 110 | 1.5 | 33000 | रू0 50,82,000/– |
| 02 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 595 (लॉट सं0 02) | **L- N 29° 38' 23.88" E 78° 5' 3.91" O-N 29° 38' 18.08" E 78° 5' 6.99" Z- N 29° 38' 21.55" E 78° 5' 0.82" P- N 29° 38' 15.85" E 78° 5' 4.02"** | राज्य सरकार | 200 | 110 | 1.5 | 33000 | रू0 50,82,000/– |
| 03 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 594 (लॉट सं0 03) | **Z- N 29° 38' 21.55" E 78° 5' 0.82" P- N 29° 38' 15.85" E 78° 5' 4.02" AA-N 29° 38' 18.88" E 78° 4' 57.18" Q- N 29° 38' 13.03" E 78° 5' 0.27"** | राज्य सरकार | 200 | 131 | 1.5 | 39300 | रू0 60,52,200/– |
| 04 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 594 (लॉट सं0 05) | **V- N 29° 38' 17.04" E 78° 4' 54.80" S- N 29° 38' 11.21" E 78° 4' 57.86" U- N 29° 38' 14.74" E 78° 4' 51.79" T- N 29° 38' 8.98" E 78° 4' 54.87"** | राज्य सरकार | 200 | 106.60 | 1.5 | 31980 | रू0 49,24,920/– |
| 05 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 596 (लॉट सं0 06) | **J- N 29° 38' 15.79" E 78° 5' 3.91" K- N 29° 38' 11.39" E 78° 5' 5.75" I- N 29° 38' 12.80" E 78° 4' 5.97" X- N 29° 38' 8.43" E 78° 5' 1.81"** | राज्य सरकार | 143 | 140 | 1.5 | 30030 | रू0 46,24,620/– |
| 06 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 596 (लॉट सं0 07) | **I- N 29° 38' 12.80" E 78° 4' 5.97" X- N 29° 38' 8.43" E 78° 5' 1.81" Y- N 29° 38' 9.80" E 78° 4' 56.00" A- N 29° 38' 5.43" E 78° 4' 57.88"** | राज्य सरकार | 143 | 140 | 1.5 | 30030 | रू0 46,24,620/– |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 597 (लॉट सं0 09) | H- N 29° 38' 2.70" E 78° 4' 53.54" E- N 29° 38' 5.76" E 78° 4' 57.71" F- N 29° 37' 58.61" E 78° 4' 55.21" G- N 29° 38' 1.73" E 78° 4' 59.40" | राज्य सरकार | 150 | 133.33 | 1.5 | 29999.25 | रू0 46,19,885/– |
| 08 | गंगा नदी ग्राम कलसिया खसरा संख्या 597 (लॉट सं0 10) | F- N 29° 37' 58.61" E 78° 4' 55.21" G- N 29° 38' 1.73" E 78° 4' 59.40" B- N 29° 37' 54.46" E 78° 4' 56.85" C- N 29° 37' 57.66" E 78° 5' 1.09" | राज्य सरकार | 150 | 133.33 | 1.5 | 29999.25 | रू0 46,19,885/– |

नीलामी की शर्तेः–

1–खुली नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र(जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत), जी0एस0टी0 नम्बर, ब्लैक लिस्ट में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र, मूल्यांकित रॉयल्टी के 25 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट होना अनिवार्य होगा।

2–नीलाम प्राप्तकर्ता को उपरोक्त उपखनिज की नीलामी की धनराशि का 1/4 भाग उसी दिन एवं अवशेष धनराशि को नीलाम स्वीकृति से 03 कार्यदिवसों के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। तदोपरान्त नीलाम प्राप्तकर्ता को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

3–सार्वधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओ के जमा बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी महोदय द्वारा नीलाम स्वीकृति के उपरान्त वापस कर दिये जायेगें। नकद धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

4–उपरोक्त उपखनिज की नीलामी से प्राप्त राजस्व पर राजकीय कर का नीमाली प्राप्तकर्ता द्वारा पृथक से सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जायेगा।

5–नीलामी प्राप्तकर्ता उपखनिज जो हैं, जहॉ हैं, जैसा हैं की स्थिति में नियमानुसार स्वयं निस्तारित करेगा।

6–नीलाम स्वीकृति की दिनांक से जिला कार्यालय द्वारा वर्षाकाल के दौरान खनन बन्दी की घोषणा तक की अवधि अथवा अनुमत उपखनिज की मात्रा की निकासी( जो भी पहले हो) तक कार्यालय उप निदेशक (खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, कलेक्ट्रेट परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार से प्राप्त ई–रवन्ना (एम0एम0–11) के आधार पर की जायेगी।

7–नीलामी प्रक्रिया के बाद उपखनिज की चोरी एवं खुर्दबुर्द होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

8–नीलामी प्राप्तकर्ता राजस्व एवं सिंचाई विभाग की निगरानी में उपखनिज के निकासी का कार्य करेगा।

9–यदि उपखनिज निकासी करते समय उपखनिज एकत्रित स्थल, गंगा नदी तटबन्ध, सार्वजनिक मार्ग एवं पुल आदि को कोई क्षति पहुँचती हैं तब उसकी क्षति पूर्ति नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा की जायेगी।

10–उपखनिज की निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सार्वजनिक मार्ग अवरूद्व न हो एवं जन सामान्य को असुविधा न हो।

11–मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0जी0टी0) एवं पर्यावरण नियंत्रण ईकाई के मानको का पालन करना होगा।

12–नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा उपखनिज की निकासी सूर्योदय एवं सूर्यास्त तक ही की जायेगी।

13–अनुज्ञाधारक द्वारा रेत/मलवे की सफाई का कार्य किए जाने से पूर्व समिति द्वारा क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। अनुमत क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं किया जायेगा।

14–नदी के दोनो किनारों से एक चौथाई भाग को छोडते हुए केवल वर्णित मध्य भाग मे रेत/मलवे का चुगान किया जाएगा। नदी के दोनो किनारों पर छोडे गये एक चौथाई क्षेत्र में रेत/मलवा उठान प्रतिबिन्धित रहेगा व उक्त का संरक्षण भी किया जाना होगा।

15–रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के बिन्दु संख्या 7 के प्राविधानुसार पुल से अपस्ट्रीम में 100 मीटर तथा डाऊनस्ट्रीम में भी 100 मी0 के क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुए उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

16–मलवे के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के नियमों एंव प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

17–रेत/मलवा का निस्तारण रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के बिन्दु संख्या 7 के प्राविधानुसार मशीनों यथा जे0सी0बी0, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।

18–आवेदक/अनुज्ञाधारक को उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के प्राविधानुसार निकासी/हटाए जाने वाले रेत/मलवा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आंगणित एवं अनुमत मलवे की मात्रा पर देय रॉयल्टी उपरोक्त तालिका मे इंगित मात्रा पर मैदानी क्षेत्र की नदियों हेतु निर्धारित/अद्यतन दर रू0 154/– प्रति घनमीटर अर्थात् रू0 70.00 प्रति टन की दर के आधार

पर निर्धारित है। रॉयल्टी के अतिरिक्त रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 के क्रम मे निर्गत शासनादेश संख्या–137/VII-A-1/2020/90ख/16 दिनांक 31.01.2020 में उल्लिखित बिन्दु 8 (1) के अनुसार रेत निस्तारण हेतु रॉयल्टी के अतिरिक्त आधार रॉयल्टी मूल्य का 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, निर्धारित शुल्क आधार रॉयल्टी मूल्य का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि तथा आधार रॉयल्टी मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान के रूप से देय होगा। उक्त आगणित रॉयल्टी, स्टाम्प शुल्क व क्षतिपूर्ति धनराशि को मिलाते हुए चिन्हित क्षेत्र से हटाए गये रेत/मलवा निकासी की कुल मात्रा के आधार पर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जनपदीय कोषागार में निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–00–102–01–00 अलौह धातु खनन एंव धातुकर्म उद्योग मे तथा रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के खाता पंजाब नैशनल बैक रौशनाबाद संख्या 1333002100004124 में अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

19– रेत का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 (समय–समय पर संशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गए मलबा/रेत पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

20–रिवर ट्रेनिंग कर उठाये जाने वाले मलवे/रेत की निकासी हेतु तटबन्ध का उपयोग न कर अन्य रास्ते से किया जाना होगा।

21–अन्य शर्ते यदि कोई होगी तब उन्हें नीलामी स्थल पर नीलामी की दिनांक को बताया जायेगा।

22–जिलाधिकारी , हरिद्वार का निर्णय अन्तिम होगा।

23–किसी भी विवाद का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय हरिद्वार को होगा।

अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलाम समिति, हरिद्वार।

**प्रतिलिपि–**

1– उप जिलाधिकारी हरिद्वार/रूड़की/लक्सर/भगवानपुर/उप निदेशक, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई हरिद्वार/नाजिर सदर, कलेक्ट्रट हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

2– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को जनपद की अधिकारिक वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

3– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/हिन्दुस्तान (हिन्दी)को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति शासकीय दर पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व)/
अध्यक्ष, नीलाम समिति, हरिद्वार।